रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-537/2023/3275/22-2-2023-17(687)/2023

लखनऊ:दिनांक: 18 अगस्त, 2023

शुद्धि-पत्र

जिला कारागार, हमीरपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इरशाद (बन्दी सं0-64/2008) पुत्र श्री मसीउद्दीन, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई विषयक कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 के आदेश संख्या-501/2023/1881/22-2-2023-17(687)/2023 दिनांक 14 अगस्त, 2023 की बारहवीं एवं तेरहवीं पंक्ति में 'जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद' के स्थान पर टंकण त्रुटिवश ' जिला मजिस्ट्रेट, बांदा ' अंकित हो गया है।

अत: उक्त शासनादेश दिनांक 14 अगस्त, 2023 की बारहवीं एवं तेरहवीं पंक्ति में अंकित ' जिला मजिस्ट्रेट, बांदा ' के स्थान पर ' जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद ' पढ़ा एवं समझा जाय।

2 उक्त शासनादेश दिनांक 14-08-2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

संख्या-537/2023/3275(1)/22-2-2023 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त शासनादेश दिनांक 14-08-2023 की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।

3- पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, हमीरपुर।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को एस0एम0 रिट याचिका (क्रि0मि0) संख्या-04/2021 इन री स्टेजी फार आफ वेल में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2023 के सन्दर्भ में।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मंत्री जी के सूचनार्थ।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in